भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1972
दिनांक 11.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन

†1972. श्रीमती माला रायः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

दिनांक 15.11.2025 की स्थिति के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अब तक प्राप्त लक्ष्य एवं उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

स्वच्छता राज्य का विषय है। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को एक केंद्र प्रायोजित योजना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालयों तक पहुंच प्रदान करके 2 अक्टूबर 2019 तक देश को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाना है। 2014-15 से 2019-20 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसबीएम (जी) की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर सूचित किए गए अनुसार, देश भर में 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 2 अक्टूबर, 2019 को स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया था।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II अप्रैल, 2020 में शुरू किया गया था और इसे 2020-21 से 2025-26 तक कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिरता पर ध्यान दिया गया है और गांवों को ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन कवर किया गया है और दृश्यगत स्वच्छता सुनिश्चित की गई है अर्थात् गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस (मॉडल) गांवों में परिवर्तित किया जा रहा है। 15.11.2025 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसबीएम (जी) के ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार, एसबीएम (जी) चरण II के तहत

4,85,510 गांवों ने स्वयं को ओडीएफ प्लस (मॉडल) गांव के रूप में घोषित किया है। इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसबीएम (जी) के आईएमआईएस पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार, निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) की कुल संख्या (2014 से 15.11.2025 तक) क्रमशः 11.98 करोड़ और 2.65 लाख है। 15.11.2025 तक, 5.25 लाख गांवों को ठोस कचरा प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) व्यवस्था और 5.39 लाख गांवों को तरल कचरा प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) व्यवस्था से कवर किए जाने की सूचना है।

अनुबंध

दिनांक 11.12.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1972 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल गांव	कुल ओडीएफ प्लस (मॉडल) घोषित गांव
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	265	224
2	आंध्र प्रदेश	15,995	9,592
3	अरुणाचल प्रदेश	5,134	1,055
4	असम	25,368	23,531
5	बिहार	37,138	34,307
6	छत्तीसगढ़	19,643	18,383
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	98	98
8	गोवा	373	325
9	गुजरात	17,973	13,737
10	हरियाणा	6,618	4,889
11	हिमाचल प्रदेश	17,618	14,503
12	जम्मू एवं कश्मीर	6,216	6,173
13	झारखंड	29,322	7,820
14	कर्नाटक	26,484	9,261
15	केरल	1,435	1,372
16	लद्दाख	240	238
17	लक्षद्वीप	10	10
18	मध्य प्रदेश	51,043	50,609
19	महाराष्ट्र	40,247	33,979
20	मणिपुर	2,567	26
21	मेघालय	6,466	487
22	मिजोरम	646	619
23	नागालैंड	1,425	600
24	ओडिशा	46,928	44,656
25	पुदुचेरी	91	37
26	पंजाब	11,977	2,219
27	राजस्थान	43,463	42,492
28	सिक्किम	400	400
29	तमिलनाडु	11,739	11,567
30	तेलंगाना	9,773	9,542
31	त्रिपुरा	765	763
32	उत्तर प्रदेश	96,174	93,788
33	उत्तराखंड	14,967	14,887
34	पश्चिम बंगाल	38,343	33,321
		5,86,944	**4,85,510**

*****